

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आईडी/2015/एसडीआर/वाल्सूम-1

दिनांक: 11 जनवरी, 2016

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
गुजरात,
गांधीनगर

विषय : गुजरात के 168-चोर्यासी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का उप-निर्वाचन, 2015-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश।

महोदय,

मुझे गुजरात में 168-चोर्यासी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से दिनांक 28.12.2015 (सोमवार) को अधिसूचित गुजरात की राज्य विधान सभा के लिए चालू उप-निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान करने के संबंध में आयोग का आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2016 इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, को अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. जैसाकि आयोग के पत्र सं. 464/अनुदेश-वीएस/2014-ईपीएस, दिनांक 21 मार्च, 2014 में पहले ही निदेश दिया गया है, मतदान दिवस से पहले प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्चियां सभी निर्वाचकों को बांटी जाएंगी। मतदान के दिन एक अधिकारी (बीएलओ) अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों के साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर मतदान समय के दौरान ड्यूटी पर होंगे ताकि जिस किसी भी निर्वाचक को प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची जारी नहीं की गई है, वे मतदान केन्द्रों के बाहर अपनी प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची मूल रूप में प्राप्त कर लें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अवितरित फोटो मतदाता पर्चियों के साथ अधिकारी मतदान केन्द्रों के बाहर एक सुप्रकट स्थान पर स्थापित फेंसिलिटेशन डेस्क पर बैठें। यह जानकारी सम्प्रेषित करने वाले बैनर/पोस्टर भी स्थानीय भाषा में ऐसे स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जो आसानी से देखे जा सकें। आयोग के इस आदेश का मतदान से पहले सभी मीडिया चैनलों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

4. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक

मतदान करने उपस्थित हुए हैं। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।

5. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट ही पेश करना होगा।

6. आदेश संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति हर एक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

7. आयोग का आदेश दिनांक 15 जून, 2015 राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

8. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह पर्याप्त होगा कि क्रमशः अक्षर 'ईपी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग कोई वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने के अनुदेश लागू बने रहेंगे। उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

9. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।

10. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

ह./-

(एन. टी. भूटिया)

अवर सचिव